253

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै./2010 जयपुर, दिनांक : - 9 SEP 2016

आदेश

विषयः— राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने—जाने की वाहन सुविधा का उपयोग करने पर भुगतान की दरों में संशोधन बाबत्।

विभाग के आदेश क्रमांक प. 4(6)स्टे.मो.गै./2003 दिनांक 20.01.2004 के द्वारा वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पात्र अधिकारियों को आवंटित वाहन के लिये इस विभाग के आदेश कमांक प.4(6)स्टे.मो.गै./2010 दिनांक 28.09.2010 के द्वारा निवास से कार्यालय आने—जाने की वाहन सुविधा उपयोग करने पर संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर) के लिये रूपये 500/— प्रतिमाह तथा संभाग स्तर के अलावा अन्य स्थानों के लिए यह सुविधा रूपये 300/— प्रतिमाह भुगतान के आधार पर प्रदान की गयी थी। उक्त राशि को संशोधित किया जाकर संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं भरतपुर) के लिये रूपये 1000/— प्रतिमाह तथा संभाग स्तर के अलावा अन्य स्थानों के लिए यह सुविधा रूपये 500/— प्रतिमाह निर्धारित की जाती है। उक्त आदेश में वर्णित शेष प्रक्रिया/शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 101603240 दिनांक 11.08.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जा रहा है। यह आदेश दिनांक 01.09.2016 से प्रभावी होंगे।

(मेघराज सिंह रतनू)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आरक्षी, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निजी सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
12. निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
15. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
20. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग/पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

254

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै. / 2010 जयपुर,दिनांक/6 नवम्बर,2010

परिपत्र

विषयः-अधिकारियों द्वारा एक से अधिक वाहन उपयोग नहीं करने बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा राजकीय कार्य हेतु विभिन्न अधिकारीगण को विद्यमान नियमों के अन्तर्गत राजकीय वाहन (किराये के वाहनों सहित)सुविधा प्रदान की हुई है । इन वाहनों का उपयोग नियमों / शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक है ।

इस विभाग के आदेश कमांक प.4(6)स्टे.मो.गै. / 2010 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के द्वारा ऐसे अधिकारीगण, जिनको राजकीय कार्य हेतु वाहन उपलब्ध हैं, को घर से आने एवं जाने की सुविधा भी प्रदान की गई है और 500 रूपये (संभागीय मुख्यालय हेतु) एवं 300 रूपये (अन्य स्थानों हेतु) की राशि प्रतिमाह राजकोष में जमा करवाया जाना आवश्यक किया गया है, परन्तु यह देखा गया है कि कुछ अधिकारीगण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमान्तर्गत उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा के अतिरिक्त उनके अधीनस्थ विभागों / निगमों / संस्थाओं के वाहनों व किन्ही पदों का अतिरिक्त कार्यभार के कारण,अतिरिक्त वाहनों अथवा किराये के वाहनों का उपयोग भी कर रहे हैं और उनका भुगतान अधीनस्थ विभागों / निगमों / संस्थाओं से करवाया जा रहा है । इस प्रकार कतिपय अधिकारीगण उन्हे अनुमत किए गए एक से अधिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जो नियमों की अवहेलना है और राजकीय वाहनों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है ।

अतः विद्यमान नियमों / आदेशों की निरन्तरता में निर्देश प्रदान किये जाते है कि सभी अधिकारीगण इस सम्बन्ध में जारी नियमों / आदेशों की पूर्ण पालना करवायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वाहनों का दुरूपयोग नहीं हो रहा हैं एवं इस विभाग के उक्त आदेश दिनांक 28 सितम्बर,2010 की पालना में वांछित राशि सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा राजकोष में जमा करवाई जा रही है और कोई भी अधिकारी उनको अधिकृत एक वाहन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाहन का उपयोग नहीं कर रहा है ।

नियमों की अवहेलना के मामले ध्यान में लाएं जाने पर शासन ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाही करने का मंतव्य रखता है ।

कृपया इन निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें ।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, राज्यपाल महोदय राजस्थान जय॰ ।
2 प्रमुख सचिव, सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर ।
3. निजी सचिव,मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण / संसदीय सचिव, राजस्थान,जयपुर ।
4. निजी सचिव मुख्य सचिव,राजस्थान, जयपुर ।
5 समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान सरकार ।
6 राजकीय उपकम ब्यूरों (सार्वजनिक उपकम विभाग) राजस्थान, जयपुर ।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,समस्त राजकीय उपकम ।
8. समस्त विशेषाधिकारी / उप शासन सचिव, वित्त विभाग ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
11. समस्त कोषाधिकारी ।
12. प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडिफिकेशन) को 7 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
13. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव,राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल,राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर ।
3. सचिव, लोकायुक्त,राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
5. सचिव,राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर ।

16/11/2010

शासन उप सचिव

252

133

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक : प. 4(6)स्टे.मो.गै. / 2010

जयपुर,दिनांक 28 सितम्बर,2010

आदेश

विषयः–राजकीय कार्य हेतु निवास से कार्यालय आने–जाने की वाहन सुविधा उपलब्ध कराने की प्रकिया में विस्तार व सरलीकरण ।

विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांकः प.4(6)स्टे.मो.गै. / 2003 दिनांक 20.1.2004 द्वारा चिन्हित वाहन के उपयोग हेतु अधिकृत पात्र अधिकारियों को राजकीय वाहन से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा रूपये 300 / –प्रतिमाह के भुगतान पर प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि ऐसे अधिकारियों जिनको राजकीय वाहन अथवा किराये का वाहन आवंटित है को भी निर्धारित राशि के भुगतान पर ऐसे वाहनों का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा प्रदान की जाये। तदनुसार निम्नांकित प्रकिया निर्धारित की जाती है :–

1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजकीय कार्य हेतु जिन अधिकारियों को राजकीय वाहन / अनुबन्धित किराया वाहन / पूल वाहन आवंटित है,उन अधिकारियों द्वारा ऐसे वाहन का उपयोग निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु किया जा सकेगा।
2. मोटर गैराज अथवा विभागीय पूल से आवंटित वाहनों से निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा भी सक्षम / अधिकृत अधिकारी उपयोग कर सकते हैं ।
3. विभागों में किराये पर लिए जाने वाले अनुबन्धित वाहनों का उपयोग करने वाले अधिकारी भी निवास से कार्यालय आने–जाने की सुविधा हेतु अधिकृत हैं।
4. वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी को निवास से कार्यालय आने–जाने हेतु संभागीय मुख्यालय (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा भरतपुर) हेतु रूपये 500 / –प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों हेतु रूपये 300 / –प्रतिमाह की दर पर उक्त सुविधा प्रदान की जावेगी । वाहनों के संयुक्त रूप से उपयोग करने वाले अधिकृत अधिकारी यदि उक्त सुविधा लेते हैं तो प्रत्येक अधिकारी अलग अलग निजी रूप से उक्त भुगतान देंगें।
5. जिस अधिकारी को राजकीय / पूल / किराये का वाहन आवन्टित है,उससे उक्त दरों पर राशि की कटौती अनिवार्य रूप से की जावे।
6. उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के फलस्वरूप विभागों को POL मद या वाहन किराये के मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध नही कराया जाऐगा । अतः विभाग वाहनों का उपयोग मितव्ययतापूर्वक करें।
7. नियंत्रण अधिकारी वाहनों की स्वीकृत संख्या के आधार पर उनके निवास से कार्यालय आने–जाने के प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए वेतन बिलो से निर्धारित कटौती के आदेश जारी करेंगे।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी.क्रमांक 261000138 /FD दिनांक 20.9.2010 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं तथा यह तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे ।

(किरण सोनी गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

कृ.पृ.उ.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय राज0 जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज0 जयपुर ।
3. मुख्य सचिव,राजस्थान जयपुर ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज0 जयपुर ।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशि0शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक आरक्षी,राजस्थान,जयपुर ।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान ।
8. समस्त जिला कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक,राजस्थान ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. निजी सचिव,लोकायुक्त राजस्थान, जयपुर ।
11. निजी सचिव,अध्यक्ष,राजस्थान विधान सभा,जयपुर ।
12. निजी सचिव,माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर / जोधपुर।
13. निजी सचिव / विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण,राजस्थान,जयपुर।
14. निजी सचिव,सरकारी मुख्य सचेतक / उप मुख्य सचेतक,राजस्थान विधानसभा जयपुर
15. महाधिवक्ता,राजस्थान,जयपुर ।
16. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर ।
17. निबन्धक,राजस्व मण्डल,अजमेर ।
18. सचिव,राजस्थान विधानसभा,जयपुर ।
19. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,अजमेर
20. शासन उप सचिव,कार्मिक (ख) विभाग / पंजीयक,शासन सचिवालय,जयपुर
21. मुख्य लेखाधिकारी,शासन सचिवालय जयपुर ।
22. रक्षित पत्रावली ।

28/9/23

शासन उप सचिव

251

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक:प.4(6)स्टे.मो.गै./2003

जयपुर, दिनांक : 20 जनवरी,2004

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 23(85)सा.प्र./1/90 दिनांक 3.6.90 द्वारा निम्नांकित अधिकारियों को रूपये 200/– प्रतिमाह भुगतान के आधार पर राजकीय वाहन को निवास से कार्यालय तथा कार्यालय से निवास तक आने–जाने के लिए उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया था :

1. मुख्य सचिव ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव ।
3. समस्त पुलिस महानिदेशक ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / शासन सचिव ।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त ।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक ।
7. समस्त शासन विशिष्ठ सचिव ।
8. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ।
10. समस्त जिला कलेक्टर ।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो ।
12. पुलिस मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेन्ट, आर.एसी., पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, राज्यपाल के ए.डी.सी. एवं प्राचार्य पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर/जोधपुर ।
13. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय वन सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रंखला एवं उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी, जिनके पास राजकीय वाहन उपलब्ध हैं ।

R/S.
22/1/04

तत्पश्चात् इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 21(17)सा.प्र./1/92 दिनांक 24.11.1999 द्वारा राजकीय वाहन मय वाहन चालक पी.ओ.एल. एवं संधारण व्यय वहन करने की शर्त पर आदेश के अनुच्छेद–7 के तहत आवण्टित कराने की सुविधा सम्बन्धित अधिकारी की मांग पर प्रदान की गई थी । पूर्व में व्यवस्थानुसार सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से रूपये 200/– प्रतिमाह की कटौती कर वाहन उपलब्ध कराने

सम्बन्धी सुविधा समाप्त हो गई थी। केवल राजस्व प्रशासन एवं कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की यह सुविधा समाप्त नहीं की गई थी।

2. इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं [illegible] अधिकारी, जो वाहन हेतु अधिकृत है एवं इस विभाग द्वारा जारी उक्त आदेशों के [illegible] सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(30)कार्मिक/क–1/01 दिनांक 2.2.2002 के अनुसार यातायात भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

3. अब विभाग के आदेश दिनांक 3.6.98 एवं 24.11.99 को संशोधित कर नवीन व्यवस्था के तहत निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

अ. अनुच्छेद–1 में उल्लेखित अधिकारी, जो चिन्हित राजकीय वाहन के लिये अधिकृत हैं, वे निवास से कार्यालय आने–जाने के लिए यदि विभागीय पूल वाहन का उपयोग करना चाहें, तो ऐसे अधिकारी के वेतन से 300/– रूपये प्रतिमाह की कटौती की जा कर यह सुविधा देय होगी।

ब. इस विभाग के आदेश क्र. प.21(17)साप्र/1/92 दिनांक 24.11.99 के अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत प्रदत्त सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। जिन अधिकारियों को उक्त अनुच्छेद 7 एवं 8 के तहत वाहन/चालक आवंटित है, वे अधिकारी ऐसे वाहन/चालक को दिनांक 1 फरवरी, 2004 तक स्टेट मोटर गैराज को समर्पित करेंगे।

स. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी यदि उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार किसी कारणवश वाहन का उपयोग नहीं कर पाते है तो उन्हे कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22.2.2002 के आधार पर [illegible] भत्ता देय होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा उन्हीं अधिकारियों को देय होगी, जिनके पास पूर्व में राजकीय वाहन उपलब्ध है तथा अधिकारियों को इस व्यवस्था हेतु कोई नया वाहन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। यदि किसी अधिकारी के पास राजकीय वाहन आवंटित नही है तो यह आदेश उन्हें राजकीय वाहन आवंटन/उपलब्ध कराने हेतु अधिकृत नहीं करेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग के आई.डी. क्रमांक: PSF/320 दिनांक 19.1.2004 की सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

20/1/04
(चन्द्र मोहन मीना)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त शासन प्रमुख सचिव, राजस्थान।
4. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, आरक्षी, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
6. समस्त शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिव, राजस्थान।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. समस्त विभागाध्यक्ष।
10. निजी सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. निजी सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान [illegible] न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
14. निजी सचिव, सरकारी मुख्य सचेतक/उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
19. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
20. शासन उप सचिव, कार्मिक (क) विभाग/पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव